भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1312
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना

1312. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को जमीनी स्तर पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और उन्हें विकास संबंधी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाते हुए उन्हें सुदृढ़ करने के क्षेत्रों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) पीआरआई के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार से धन का हस्तांतरण और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन शामिल है;
(ग) विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे क्षेत्रों में पीआरआई के सदस्यों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण में सुधार के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पीआरआई की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों और अन्य कमजोर समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) चूंकि पंचायतें राज्य का विषय हैं, इसलिए उन्हें सशक्त और सुदृढ़ करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह एक सतत प्रक्रिया है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक और संपूरक बना रहा है। पीआरआई को मजबूत करने के लक्ष्य की दिशा

में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को आवश्यकता आधारित पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने और क्रियान्वित करने में सक्षम बनाना, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए लगभग 100% ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण, ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे एप्लीकेशनों जैसे डिजिटल हस्तक्षेप प्रदान करना, पीआरआई और सार्वजनिक व्यवहार के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-भुगतान मॉड्यूल- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) एप्लिकेशन के साथ ई-ग्राम स्वराज का एकीकरण; विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी को ई-सक्षम बनाना; प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं प्रदयगी में सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लक्ष्य की दिशा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई कुछ प्रमुख नीतिगत प्रगति हैं।

(ख) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों तथा संबंधित राज्य सरकारों के राज्य वित्त आयोगों के पुरस्कारों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत जुटाने की क्षमता को मजबूत किया जा रहा है।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्य करना है। उन्हें वित्तीय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि पर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

ये कार्यक्रम पीआरआई अधिकारियों के नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सहित उत्कृष्टता संस्थानों (आईओई) और राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ किया जा सके और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। यह राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती

राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) में प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त है।

इस संबंध में, मंत्रालय ने नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित करने के लिए छह आईआईएम (अहमदाबाद, शिलांग, अमृतसर, जम्मू, बोधगया, रोहतक), आईआईटी धनबाद और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, चार आईआईएम (अहमदाबाद, अमृतसर, जम्मू, बोधगया) और आईआरएमए में आयोजित पांच एमडीपी के माध्यम से 38 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों सहित 193 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में हाशिए पर रहने वाले समुदायों/वंचित समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इस मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग से वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि आवंटित करने, महिला तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराइयों से निपटने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ महिला हितैषी पंचायतों को पुरस्कार भी प्रदान कर रहा है।

***